

01.11.21

पत्राक्षी देहा वकील शायी उप. नही।

शायी व वकील शायी को पुणे
न्यायालय में वाट - वाट पणे - पणे

से आवाजे लगाई गई लीटिंग फिल

में न्यायालय में उपस्थित नही।

अतः शायी व वकील शायी व

अदम पैरवी में इस तरह पर लारिज
के

फर्द अहकाम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

क्रिया पाठा है। पूर्व में जारी अंतरिम
अस्थाई विधेदात्रा दिनांक 28.07.21
को कारिज क्रिया पाठा है। पश्चात्की
जम्बा से कत होकर लीखल

दफ्तर से

(अभिवादा)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना